

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2020—कार्तिक 28, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ ए-3-28-2011-1-पांच(63).—मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-28-2011-1-पांच (10), दिनांक 30 मार्च, 2015 को अतिथित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-28-2011-1-पांच (05), दिनांक 15 फरवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक तथा शब्द “31 मार्च, 2020” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “31 मार्च, 2025” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ ए-3-28-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-28-2011-1-पांच (63), दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव।

Bhopal, the 19th November 2020

No. F A-3-28-2011-1-V(63).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Madhya Pradesh Vrittikar Adhiniyam, 1995 (16 of 1995) and in supersession of this department's Notification No. F A-3-28-2011-1-V(10), dated 30th March, 2015 the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F A-3-28-2011-1-V(05), dated 15th February, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and words “31st March, 2020”, the figures and words “31st March, 2025” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.